



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

27 वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक:-21.01.2023

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी की नियमानुसार गिरफ्तारी एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में विभिन्न थानों के पुलिस टीम द्वारा कुल 27 वारण्टी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवरण निम्नवत है-

थाना रामकोट पुलिस द्वारा 04 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 280/12, वाद संख्या 50/98 व वाद संख्या 721/19 में वारण्टी 1. महेश पुत्र स्व० विशम्भर निवासी कस्बा व थाना रामकोट जनपद सीतापुर 2. मंगली प्रसाद पुत्र मुन्नालाल निवासी देवगनपुर थाना रामकोट सीतापुर 3. अजय कुमार पुत्र रामौतार निवासी दामोदरपुर थाना रामकोट सीतापुर 4. बैजनाथ पुत्र श्रीकेशन निवासी इलसिया थाना रामकोट सीतापुर को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना खैराबाद पुलिस द्वारा 06 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 844/19 वाद संख्या 317/18 व वाद संख्या 59/21 में वारण्टी 1. कल्लू पुत्र केशनलोथ निवासी नयापुरवा थाना खैराबाद सीतापुर 2. छोटू पुत्र सियाराम लोध निवासी सकटूमपुर थाना खैराबाद सीतापुर 3. छोटू पुत्र रामऔतार 4. रामऔतार पुत्र साधू निवासी गण मूसेपुर थाना खैराबाद सीतापुर 5. कालिका पुत्र बालकराम निवासी बेलियापुर थाना खैराबाद सीतापुर 6. विमल पुत्र रामनरेश निवासी जम्मैयतपुर थाना खैराबाद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना महोली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना महोली पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 365/15 में वारण्टी नरेश पुत्र छंग्गा निवासी परसेहरिया थाना महोली सीतापुर को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना इ०सु०पुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना इ०सु०पुर पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 355/21 में वारण्टी नवल किशोर पुत्र रामदास निवासी ग्राम रोजा थाना इ०सु०पुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना लहरपुर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी गिरफ्तार: – थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 73/19, वाद संख्या 681/19 व वाद संख्या 454/17 में वारण्टी 1.रामचन्द्र पुत्र राम विलास 2.विजय पुत्र रामचन्द्र निवासीगण बरेती जलालपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 3.राजू उर्फ बुरानी पुत्र मकबूल निवासी मिसिरपुरवा कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 4.विद्यासागर पुत्र गोबरे निवासी मोहल्ला जोशीटोला कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 5.फेंकू पुत्र मुस्ताक खां निवासी ग्राम टप्पा थाना लहरपुर सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मानपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना मानपुर पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 171/19 में वारण्टी 1.लल्ला पुत्र नियामुद्दीन निवासी अहमदपुर थाना मानपुर सीतापुर 2.श्यामू उर्फ श्यामनारायन निवासी मुण्डेरी थाना मानपुर सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना तालगांव पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 227/22 में वारण्टी झब्बर पुत्र मुण्डली निवासी ग्राम मझिगांवा थाना तालगांव जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना बिसंवा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना बिसंवा पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 12/07 व वाद संख्या 380/2000 में वारण्टी 1.अब्दुल पुत्र नबी खां निवासी घूरीपुर थाना बिसंवा सीतापुर 2.रामलखन पुत्र जंगली निवासी जकराबाद थाना बिसंवा सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना रेउसा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार: – थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 1002/06 में वारण्टी बाबू उर्फ बाबू सिंह पुत्र कल्लू निवासी बेदौरा थाना रेउसा सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना अटरिया पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 339/12 में वारण्टी उत्तम सिंह पुत्र श्री हरि निवासी ग्राम परेवाजाल थाना अटरिया जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 20/14 में वारण्टी उदित नारायण पुत्र रामसेवक निवासी हरिहरपुर थाना रामपुर मथुरा सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना थानगांव पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 506/04 व वाद संख्या 427/12 में वारण्टी 1.बुधई पुत्र दीना निवासी ग्राम शंकरपुर झिसनी थाना थानगांव जनपद सीतापुर 2.छैलू पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम देवरिया मजरा नसीरपुर थाना थानगांव जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

